कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 492 / FP/UK/ROAD/26823/2017 देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में चार राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमाग्र –134 (धरासू –यमुनोत्री रोड़, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग –94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड़ पर सुरंग निर्माण हेतु 25.825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन।

(Online file no- FP/UK/ROAD/26823/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है। सहमति की दशा में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– FP/UK/ROAD/26823/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल एवं यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं अपर यमुना, बड़कोट।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़, देहरादून।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

विषयः–जनपद उत्तरकाशी में चार राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमाग्र –134 (धरासू –यमुनोत्री रोड़, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग –94) के कि0मी0 24.300 से कि0मी 51.900 तक सिलक्यारा बैण्ड़ पर सुरंग निर्माण हेतु 25.825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन।
(Online file no- FP/UK/ROAD/26823/2017)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु उत्तरकाशी वन प्रभाग में 14.742 है0 आरक्षित वन भूमि एवं अपर यमुना, बड़कोट में 11.083 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 25.825 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त परियोजना निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं अपर यमुना, बड़कोट एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल एवं यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः
तिथि : 11 / 08 / 2017
स्थान : देहरादून